PCSMANTRA.COM | 17 NOVEMBER 2026

परिसर में जातिगत भेदभाव: संस्थागत सुरक्षा-कवच की असली परख



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

IIT बॉम्बे में विद्यार्थी साहिल वाकोड़े की मृत्यु के बाद जातिगत भेदभाव के आरोपों ने उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) की सुरक्षा-व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों का 57 दिन का धरना समाप्त हुआ है, संस्थान ने कुछ सुधारों की घोषणा की है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट और स्वतंत्र जाँच के नतीजे अभी आने बाकी हैं; मृतक के माता-पिता बॉम्बे उच्च न्यायालय में CBI जाँच की माँग कर चुके हैं। यह घटना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा में छात्र-आत्महत्याओं और भेदभाव की शिकायतों पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही एक राष्ट्रीय कार्य बल (National Task Force - NTF) बना चुका है। सवाल यह है: जाँच समितियों और आयोगों के बावजूद संस्थागत सुरक्षा-कवच बार-बार क्यों विफल होता दिखता है?

संस्थागत सुरक्षा के माने कौन-कौन से स्तर

किसी HEI में सुरक्षा-तंत्र के कई घेरे होने चाहिए: अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ (SC/ST cell), आंतरिक शिकायत समिति, रैगिंग-विरोधी तंत्र (UGC के 2009 के रैगिंग-निरोधी नियम), मानसिक-स्वास्थ्य परामर्श, छात्र-कल्याण अधिकारी और स्वतंत्र शिकायत-निवारण। इनकी मौजूदगी कागज़ पर होना अलग बात है; असली कसौटी है - शिकायत दर्ज करना आसान हो, प्रक्रिया समयबद्ध और निष्पक्ष हो, शिकायतकर्ता प्रतिशोध से सुरक्षित रहे और कार्रवाई दिखे।

राष्ट्रीय कार्य बल (NTF): न्यायालय की पहल

- **गठन:** छात्र-आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को केवल व्यक्तिगत परिस्थिति न मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2025 (24 मार्च 2025 के आदेश) में NTF का गठन किया। न्यायालय ने आदेश में गंभीर चिंता जताई कि छात्र-आत्महत्याओं की संख्या अन्य वर्गों की तुलना में चिंताजनक हो गई है।
- **अध्यक्षता:** न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। सदस्यों में मनोचिकित्सक, शिक्षाविद्, दिव्यांगता-कार्यकर्ता, रैगिंग-विरोधी कार्यकर्ता, NIMHANS की मनोवैज्ञानिक, जनजाति-विशेषज्ञ और मानसिक-स्वास्थ्य शोधकर्ता शामिल हैं; उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पदेन सदस्य हैं और गृह, सामाजिक न्याय, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य और विधि मंत्रालयों के सचिव भी पदेन सदस्य हैं।
- **कार्य-क्षेत्र:** छात्र-आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों की पहचान - रैगिंग, जातिगत और लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, आर्थिक बोझ, मानसिक-स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, जनजातीय पहचान, दिव्यांगता आदि; मौजूदा कानूनों और संस्थागत ढाँचे का मूल्यांकन; और सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिशें।
- **समय-सीमा:** आदेश से चार माह में अंतरिम रिपोर्ट और आठ माह में अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश था।

UGC समता नियम 2026: मौजूदा स्थिति

भेदभाव-रोधी ढाँचे के लिए UGC के 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समता-संवर्धन नियम, 2026' जनवरी में अधिसूचित हुए थे, जिन पर न्यायालय ने रोक लगाई और केंद्र ने पुनर्विचार के लिए समिति बनाने की योजना बताई है। इस विवाद की पूरी पृष्ठभूमि और प्रक्रिया-सुधार के मानदंड हमारे पूर्व लेख में दिए जा चुके हैं। संदर्भ स्पष्ट रखें: अधिसूचना का उद्देश्य समावेशन था, विवाद परिभाषाओं और प्रक्रिया का है, और मामला न्यायिक समीक्षा में है - किसी पक्ष को अंतिम निर्णय

की तरह पेश न करें।

विश्लेषण: समितियाँ हैं, भरोसा क्यों नहीं

- **दोहराव की समस्या:** हर घटना के बाद जाँच समिति बनती है, पर आरोप समान रहते हैं - इसका मतलब समस्या व्यक्ति-विशेष न होकर प्रक्रिया-विश्वास की है: आंतरिक समितियों की स्वतंत्रता, हित-संघर्ष और निष्कर्षों के प्रकाशन पर संदेह बना रहता है।
- **मानसिक-स्वास्थ्य और भेदभाव का संगम:** कलंक के कारण सहायता लेने से हिचक, शैक्षणिक दबाव और सामाजिक अलगाव मिलकर जोखिम बढ़ाते हैं; NTF की पहचान-सूची में ये कारक साथ दिए गए हैं।
- **संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14**, **अनुच्छेद 15** और **अनुच्छेद 21** समानता और गरिमा की गारंटी देते हैं; HEI में सुरक्षा-व्यवस्था इन्हीं की व्यावहारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

आगे की राह

- NTF की सिफारिशों का समयबद्ध क्रियान्वयन और HEI-स्तर पर अनुपालना-रिपोर्टिंग।
- आंतरिक जाँच समितियों में बाहरी स्वतंत्र सदस्य, समय-सीमा और निष्कर्षों का प्रकाशन।
- रैगिंग, भेदभाव और मानसिक-स्वास्थ्य शिकायतों का एकीकृत, सुलभ और गोपनीय शिकायत-तंत्र।
- UGC नियमों का पुनर्विचार सभी हितधारकों की सुनवाई के साथ, जिससे सुरक्षा और निष्पक्षता दोनों बनें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-सुरक्षा के लिए मौजूद संस्थागत व्यवस्था के बावजूद जातिगत भेदभाव और मानसिक-स्वास्थ्य संकट के मामले बने रहने के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा सुधार के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: IIT बॉम्बे जैसे प्रकरणों और NTF के गठन से मुद्दे का परिचय दें।

मुख्य भाग में: विफलता के कारण - आंतरिक समितियों की स्वतंत्रता पर संदेह, प्रतिशोध का डर, मानसिक-स्वास्थ्य कलंक, प्रक्रिया की धीमी गति; उपाय - NTF सिफारिशों का क्रियान्वयन, स्वतंत्र जाँच-ढाँचा, एकीकृत शिकायत-तंत्र, UGC नियमों का संतुलित पुनर्विचार; **अनुच्छेद 14, 15 और 21** से जोड़कर लिखें।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष दें कि सुरक्षा-कवच का अर्थ प्रक्रिया की मौजूदगी नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक-स्वास्थ्य चिंताओं के लिए किया
कथन 2: इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट कर रहे हैं
कथन 3: यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सामान्य प्रशासनिक प्रकोष्ठ है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1: सही - NTF का गठन न्यायालय के मार्च 2025 के आदेश से हुआ
कथन 2: सही - अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) हैं
कथन 3: गलत - यह न्यायालय द्वारा गठित स्वतंत्र कार्य बल है, UGC का प्रकोष्ठ नहीं

प्रश्न 2. उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी-सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: रैगिंग-निरोधी नियमों का ढाँचा UGC के 2009 के नियमों से जुड़ा है
कथन 2: NTF को आदेश से चार माह में अंतरिम और आठ माह में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया था
कथन 3: NTF के कार्य-क्षेत्र में जातिगत भेदभाव और रैगिंग दोनों शामिल हैं

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (d)

कथन 1: सही - रैगिंग-रोकथाम का ढाँचा UGC के 2009 के नियमों पर आधारित है
कथन 2: सही - आधिकारिक कार्य-विवरण में यही समय-सीमा दी गई है
कथन 3: सही - कार्य-क्षेत्र में रैगिंग, जातिगत व लैंगिक भेदभाव, मानसिक-स्वास्थ्य आदि सब शामिल हैं

संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)

- UGC समता नियमों की समीक्षा: समान संरक्षण और भरोसेमंद प्रक्रिया

स्रोत

- राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) - आधिकारिक कार्य-विवरण और सदस्य
- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश: NTF का गठन, 24 मार्च 2025
- UGC: उच्च शिक्षण संस्थानों में समता-संवर्धन नियम, 2026 (अधिसूचना-पाठ)
- द हिन्दू का आलेख: जब संस्थागत सुरक्षा-व्यवस्था विफल हो (16 नवंबर 2026)
- NDTV: साहिल वाकोड़े के माता-पिता की बॉम्बे उच्च न्यायालय में CBI जाँच की माँग
- टाइम्स ऑफ इंडिया: 57 दिन के धरने का समापन और घोषित सुधार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: IIT बॉम्बे में विद्यार्थी साहिल वाकोड़े की मृत्यु के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा-व्यवस्था फिर सवालों में है; सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) मार्च 2025 से इसी विषय पर काम कर रहा है।

प्रश्न: राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) क्या है और कब बना?

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक-स्वास्थ्य चिंताओं और आत्महत्याओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2025 (24 मार्च 2025 के आदेश) में गठित कार्य बल। अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय कर रहे हैं; सदस्यों में मनोचिकित्सक, शिक्षाविद्, दिव्यांगता-कार्यकर्ता और मानसिक-स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं और कई मंत्रालयों के सचिव पदेन सदस्य हैं।

प्रश्न: NTF का कार्य-क्षेत्र और समय-सीमा क्या है?

कार्य-क्षेत्र: छात्र-आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों - रैगिंग, जातिगत और लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, आर्थिक बोझ, मानसिक-स्वास्थ्य कलंक आदि - की पहचान, मौजूदा कानूनों और संस्थागत ढाँचे का मूल्यांकन, और सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिशें। आदेश से चार माह में अंतरिम और आठ माह में अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश था।

प्रश्न: UGC समता नियम 2026 की मौजूदा स्थिति क्या है?

UGC समता नियम जनवरी 2026 में अधिसूचित हुए थे और बाद में न्यायालय ने उन पर रोक लगाई। केंद्र ने पुनर्विचार के लिए समिति बनाने की योजना बताई है। समिति पर विचार को नियमों में अंतिम संशोधन या रोक हटने की घोषणा नहीं समझना चाहिए।

प्रश्न: IIT बॉम्बे प्रकरण की ताजा स्थिति क्या है?

विद्यार्थियों का 57 दिन का धरना समाप्त हो चुका है और संस्थान ने कुछ सुधारों की घोषणा की है, पर पुलिस रिपोर्ट और स्वतंत्र जाँच के नतीजे अभी आने बाकी हैं। मृतक के माता-पिता बॉम्बे उच्च न्यायालय में CBI जाँच की माँग कर चुके हैं।